छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

डिवीजन बेंच

न्यायालय: माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश और माननीय श्री डी.आर. देशमुख, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 3839/2006

याचिकाकर्ता

1. मुकेश कुमार गोस्वामी
आयु लगभग 42 वर्ष
पिता श्री उम्मेद गिरी गोस्वामी
सहायक–शिक्षक
कन्या माध्यमिक विद्यालय कौडिलासा
(आदिम जाति कल्याण विभाग)
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. प्रमोद कुमार पारख
आयु लगभग 40 वर्ष
पिता श्री कंवर लाल पारख
सहायक–शिक्षक
शासकीय प्राथमिक शाला बांधा बाजार (आदिम जाति कल्याण विभाग) जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

3. श्रीकांत चौधरी
उम्र करीब 43 वर्ष
पिता स्व. श्री कन्हैया लाल चौधरी,
सहायक शिक्षक
शासकीय प्राथमिक शाला, ग्राम– पंगारी (आदिम जाति कल्याण विभाग) जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

4. गैंदलाल साहू (जी.एल. साहू)

उम्र करीब 41 वर्ष

पिता श्रीकांतूराम साहू

सहायक शिक्षक

(आदिम जाति कल्याण) शासकीय कन्या माध्यमिक शाला, ग्राम– कौडीकसा

बी.डी. चौकी आदिम जाति कल्याण विभाग) जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

5. बेंजामिन–तिग्गा

उम्र करीब 45 वर्ष

पिता स्वर्गीय श्री पीयूष तिग्गा

सहायक शिक्षक

शासकीय प्राथमिक शाला (आदिम जाति कल्याण),ग्राम गोपलिन चूना, बी.डी. –

अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. राम शरण नेवला

आयु करीब 55 वर्ष

पिता श्री सखा राम नेवला

सहायक शिक्षक

शासकीय प्राथमिक विद्यालय गांव – बड़सेना,

जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

7. परमेश्वर दास साहू

आयु करीब 41 वर्ष

पिता श्री बिशाल राम साहू

बालक मध्य विद्यालय (शासकीय) गांव – जादुटोला रबाल कल्याण विभाग),

जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

8. नन्हे लाल सुकटेल

आयु करीब 41 वर्ष

पिता श्री तोमन लाल सुकटेल

सहायक शिक्षक

शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय, गांव –अतरगांव, बी.डी. चौकी, (आदिम जाति कल्याण विभाग) जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

9. श्रीमती गीता यादव

आयु करीब 42 वर्ष

पिता श्री एम.के. यादव

सहायक शिक्षक

शासकीय बालक प्राथमिक शाला, ग्राम – कौडीकसा (आदिम जाति कल्याण विभाग), जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

10. चौत राम कुंजाम

आयु करीब 47 वर्ष

पिता श्री निरिंग साई कुंजाम

सहायक शिक्षक,

शासकीय मध्य विद्यालय

ग्राम – काकीपार, बी.डी. – मोहला (आदिम जाति कल्याण विभाग) जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. अफजल खान

आयु करीब 45 वर्ष

पिता श्री अकबर खान

सहायक शिक्षक

शासकीय कन्या मिडिल शाला, ग्राम – जादूटोला (आदिवासी कल्याण विभाग) जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

12. संतराम जंघेल

उम्र करीब 40 वर्ष

पिता श्री एफ.आर. जंघेल

सहायक शिक्षक

शासकीय बालक मिडिल शाला ग्राम – जादूटोला(आदिवासी कल्याण विभाग)

जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

13. अर्जुन दास साहू

उम्र करीब 44 वर्ष

पिता श्री अगरदास साहू

सहायक शिक्षक

शासकीय बालक प्राथमिक शाला ग्राम – बांधा बाजार (आदिवासी कल्याण विभाग) जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

14. कौशल कुमार वैद्य

उम्र करीब 41 वर्ष

पिता श्री चिंता राम वैद्य

सहायक–शिक्षक

शासकीय बालक प्राथमिक,

शाला गाँव–परसाटोला (आदिम जाति कल्याण विभाग) जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. श्रीमती मध्यमा माहेश्वरी

आयु लगभग 45 वर्ष

पिता श्री पी.एल. माहेश्वरी

सहायक–शिक्षक

शासकीय कन्या प्राथमिक शाला, गाँव–अंबागढ़ चौकी (आदिम जाति कल्याण विभाग) जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

16. धन सिंह कुंजाम

आयु लगभग 35 वर्ष,

पिता स्व. श्री थेलू राम कुंजाम

सहायक–शिक्षक

शासकीय माध्यमिक शाला, गाँव–उरवाही (आदिम जाति कल्याण विभाग)

जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

17. हिंसाराम सिन्हा

आयु लगभग 44 वर्ष

पिता श्री कैलाश राम सिन्हा

सहायक–शिक्षक

शासकीय माध्यमिक शाला

बालक प्राथमिक विद्यालय

गांव– बांधा बाजार (आदिम जाति कल्याण विभाग) जिला – राजनांदगांव (छ..)

18. रविमल – दामले

उम्र करीब 36 साल

पिता श्री लाला राम दामले

सहायक अध्यापक

सरकार. मिडडेट शाला, गांव –

भर्रीटोला, बी.डी. – अंबागढ़ चौकी (आदिम जाति कल्याण विभाग) जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. चेतन दास साहू

उम्र करीब 48 साल

पिता श्री कांशीराम साहू

सहायक अध्यापक

सरकार. बालक प्राथमिक शाला, ग्राम – कौडीकसा (आदिवासी कल्याण विभाग)

जिला – रजनांदगांव (छ.ग.)

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा: प्रमुख सचिव शाला

शिक्षा विभाग,

छत्तीसगढ़ शासन

सचिवालय डी.के.एस. भवन

जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.)

2. प्रमुख सचिव

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति,

विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

सचिवालय – डी.के.एस. भवन

जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.)

3. कलेक्टर

(अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग) शाखा कलेक्टरेट – राजनांदगांव

(छ.ग.)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

–उत्तरदाताओं

उपस्थित: श्री वी.जी. तामस्कर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

श्री यशवंत सिंह, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता

मौखिक आदेश

दिनांक 27 जुलाई, 2006

न्यायमूर्ति एस.आर.नायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित मौखिक आदेश

1. यह रिट याचिका 19 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जो सभी सरकारी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्श पी/2 के रूप में संलग्न स्थानांतरण युक्तिकरण नीति को संविधान के विरुद्ध अधिकारातीत घोषित किए जाने हेतु न्यायालय से परमादेश की

प्रार्थना की है। साथ ही, उन्होंने प्रदर्श पी/3 के रूप में चिह्नित दिनांक 06–07–2006 के स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने की भी मांग की है, जिसके अंतर्गत उन्हें वर्तमान पदस्थापन स्थानों से उन स्कूलों में स्थानांतरित किया गया है, जहां अध्यापकों की कमी या रिक्त पद हैं। उक्त आक्षेपित नीति की प्रति रिट याचिका के साथ संलग्न है, जो सामग्री पत्रावली के पृष्ठ 72 से 82 तक प्रदर्श पी/2 के रूप में उपलब्ध है।

2. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. जी. तामस्कर ने आक्षेपित नीति की वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि शिक्षकों की इच्छाओं/वरीयताओं का पता लगाने हेतु परामर्श आयोजित करने का नीति–निर्देश न केवल मनमाना है, बल्कि अनुचित भी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के परामर्श से शिक्षा विभाग के कुछ भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों को ईमानदार और निर्दोष शिक्षकों का शोषण करने और उन्हें परेशान करने का अवसर प्राप्त हो गया है। उन्होंने यहाँ भी कहा है की स्थानांतरण अधिकारियो के पास नीति के तहत उन्हें दी गई शक्ति का दुरूपयोग काने भी पूरी गुंजाईश है श्री तामस्कर ने आगे यह भी तर्क दिया कि आक्षेपित नीति में यह प्रावधान है की केवल अपेक्षाकृत कनिष्ठ शिक्षकों के ही स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है, जो कि पूरी तरह मनमानी, अनुचित, भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से आक्षेपित नीति को चुनौती देने के लिए यही दो प्रमुख आधार प्रस्तुत किए गए हैं।

3. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य के नीतिगत निर्णयों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सीमित है, और इस सीमा को सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला में स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। यदि राज्य द्वारा लिया गया कोई नीतिगत निर्णय संविधान या किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, तो न्यायालय उस निर्णय में हस्तक्षेप करने के अधिकार क्षेत्र में नहीं होते। न्यायालयों ने बार–बार यह दोहराया है कि वे सामान्यतः शासन या प्रशासनिक अधिकारियों के नीतिगत फैसलों में दखल नहीं देंगे, और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। जब तक कोई नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना, असंगत या संविधान के अनुच्छेद 14 अथवा किसी वैधानिक या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता, तब तक उसे अनुचित नहीं माना जा सकता। किसी नीति की वैधता को चुनौती दिए जाने की स्थिति में न्यायालय का कार्य केवल यह देखना होता है कि वह नीति मनमानी है या किसी अनिवार्य कानूनी प्रावधान का उल्लंघन करती है या नहीं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ में यह माना गया कि जब तक नीतिगत निर्णय संविधान या किसी कानून के साथ असंगत न हो, न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, खासकर जब मुद्दे नीतिगत निर्णय और तकनीकी मुद्दों से जुड़े हों। सीताराम कंपनी बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय के पास मामले का निर्धारण करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है, और यह निर्धारण सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। शेर सिंह बनाम भारत संघ मामले में, न्यायालय ने कहा कि यदि नीतिगत निर्णय न तो अनुचित है और न ही दुर्भावनापूर्ण है, तो कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ए.एम.एस.ए. कर्मचारी संघ बनाम राज्य मामले में, न्यायालय ने कहा कि किसी नीतिगत निर्णय पर सामान्यतः न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और न्यायालय निर्णय के आधार पर भेदभाव को गलत नहीं ठहरा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. फिर भी, यह स्थापित स्थिति है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा नीतिगत निर्णय को भी रद्द किया जा सकता है यदि न्यायालय को लगता है कि राज्य का विवादित नीतिगत निर्णय पूरी तरह से मनमाना, अनुचित, भेदभावपूर्ण या संविधान या किसी सार्वजनिक कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला है।

5. न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित उपरोक्त स्थापित सिद्धांतों और मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, अब हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री वी. जी. तामस्कर द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हैं। हमारा यह मानना है कि जिस आक्षेपित नीति में शिक्षकों की वरीयताओं को जानने के लिए परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित करने का प्रावधान है जिनका स्थानांतरित संभावित है और जिन्हें विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सकता है जहाँ रिक्तियां हैं या शिक्षकों की आवश्यकता है—उसे मनमाना, अनुचित या भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता ।इसके विपरीत, हमारा मत है कि यह प्रावधान आधुनिक राज्य की उस भूमिका के अनुरूप है, जिसमें राज्य अब परंपरागत पितृसत्तात्मक संरचना से हटकर मातृसत्तात्मक भूमिका में परिवर्तित हो गया है। इसीलिए आधुनिक राज्य को "कल्याणकारी राज्य" कहा जाता है। यदि सरकार यह विचार करती है कि शिक्षकों का स्थानांतरण करने से पूर्व उनकी वरीयताओं को जानना उपयुक्त है और इसके लिए परामर्श प्रक्रिया अपनाती है, तो इसे एक सकारात्मक और संवेदनशील प्रशासनिक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि मनमाने या अनुचित निर्णय के रूप में। इस दृष्टिकोण से याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि नीति मनमानी है, न तो तथ्यों पर आधारित है और न ही तर्कसंगत विचार पर, इसलिए इसे खारिज किया जाना उचित होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विवादित नीति में वरिष्ठ शिक्षकों को वर्तमान पदों पर बनाए रखने और अपेक्षाकृत कनिष्ठ शिक्षकों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने के प्रावधान के संबंध में दूसरा तर्क भी निराधार है, जहाँ शिक्षकों की कमी है या जहाँ रिक्तियाँ हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ग–विधान का निषेध करता है, न कि युक्तिसंगत वर्गीकरण का। यदि राज्य व्यवहार के लिए व्यक्तियों का युक्तिसंगत वर्गीकरण करने का ध्यान रखता है और यदि वह एक 'सुस्पष्ट वर्ग' के सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करता है, तो उस पर इस आधार पर समान संरक्षण से वंचित करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि यह कानून अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। स्थानांतरण के उद्देश्य से शिक्षकों का वरिष्ठ अध्यापकों तथा कनिष्ठ अध्यापकों में वर्गीकरण स्पष्ट अंतर पर आधारित है जो समूह से बाहर रखे गए अन्य व्यक्तियों से एक साथ रखे गए व्यक्तियों को अलग करता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, न्यायालय को राज्य के नीतिगत निर्णय की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, जब तक कि यह न दर्शाया जाए कि राज्य का नीतिगत निर्णय द्वेषपूर्ण भेदभाव या मनमानी के दोष से ग्रस्त है तथा संविधान या लोक विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है। सरकार ने शिक्षकों की आयु और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ शिक्षकों और जिन शिक्षकों को सेवा से सेवानिवृत्त होने में कुछ ही समय बचा है, उनके कल्याण और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वर्तमान स्थानों पर बने रहने की अनुमति दी है तथा अपेक्षाकृत युवा पीढ़ी के शिक्षकों को, जो अपने स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली कठिनाई और असुविधाओं को सहन करने में सक्षम हैं, विभिन्न स्थानों पर सेवा देने के लिए स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। स्थानांतरण के उद्देश्य से राज्य द्वारा शिक्षकों का वरिष्ठ और कनिष्ठ में किया गया वर्गीकरण निस्संदेह तर्कसंगत विचार पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना है, और इसलिए, ऐसे प्रावधान की मनमाना या भेदभावपूर्ण कहकर निंदा नहीं की जा सकती। इस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क भी विफल हो जाता है।

7. परिणामस्वरूप तथा उपरोक्त कारणों से, हम रिट याचिका को खारिज करते हैं, तथापि, वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता हैं ।

हस्ता/
मुख्य न्यायाधीश

हस्ता/
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

फ़ौज़िया अफ़रोज़ द्वारा अनुवादित